क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.com

संदर्भ संख्या : 1928/NGT OA-71/20/2020 दिनांक 04-12-2020

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- **judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com**

Sub: Report in compliance to order passed by Hon'ble National Green Tribunal, New delhi on dated 09-09-2020 in matter of OA No. 71/2020 Chandra Swarup Tyagi Vs Nagar Nigam Ghaziabad & Ors.

Respected Sir,

With reference to the above subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 09-09-2020 in matter of OA No. 71/2020 Chandra Swarup Tyagi Vs Nagar Nigam Ghaziabad & Ors. Joint inspection of said unit was carried out by District Administration, Nagar Nigam & UPPCB on dated 03.12.2020, the joint report is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Joint report.

Yours Sincerely

For Regional Officer

Copy to:

1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3- Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

For Regional Officer

Report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New delhi on dated 09-09-2020 in matter of OA No. 71/2020 Chandra Swarup Tyagi Vs Nagar Nigam Ghaziabad & Ors.

Hon'ble National Green Tribunal passed the following order on 09-09-2020 in matter of OA No. 71/2020 Chandra Swarup Tyagi Vs Nagar Nigam Ghaziabad & Ors:-

"…………Grievance in this application is against unscientific disposal of waste by the dairy owners in the storm water drains resulting in pollution and diseases. The grievance was reported to the Ghaziabad Development Authority on 03.05.2016, but no adequate action was taken. Notices were also issued under Section 133, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) by the City Magistrate on 11.07.2018, on a report by the Police Station, Sihani Gate, Ghaziabad against Shri Naresh Pal, Shri Suresh and Shri Sachin but there was stay against removal of the dairy by the District Judge. The said persons are also using submersible pump for removing the dung and discharging the same in the drains.

Let a Joint Committee of State Pollution Control Board (SPCB), SDM and the Municipal Council, Ghaziabad look into the matter and take appropriate action as per law. An action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The SPCB will be the nodal agency for coordination and compliance……."

- In compliance to the above order Additional Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Ghaziabad has issued a letter dated 17.09.2020 **(Copy enclosed as annexure-1)** to Nagar Swasthay Adhikari, Nagar Nigam, Ghaziabad for necessary action as per NGT order.
- U.P. Pollution Control Board, issued a letter to Sub Divisional Magistrate, Sadar, Ghaziabad vide letter No 1177/NGT-109/OA No-71/20/2020 dated 25.09.2020 **(Copy enclosed as annexure-2)** for joint inspection in compliance of Hon'ble NGT order.
- Sub Divisional Magistrate, Sadar, Ghaziabad vide letter dated 28-09-2020 **(Copy enclosed as annexure-3)** has constituted a committee comprising of Nagar Swasthay Adhikari, Nagar Nigam, Ghaziabad, Nayab Tehsildar, Ghaziabad & Assistant Environment Engineer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad for necessary action.
- Further in compliance of above order joint committee comprising of following members visited the site in question Radha Kunj, Nandgram, Ghaziabad on dated 03.12.2020:-
  1. Mr. Mitlesh Kumar Singh, Nagar Swasthay Adhikari, Nagar Nigam, Ghaziabad.
  2. Mr. Prateet Singh, Nayab Tehsildar, Ghaziabad.

3. Mr. B.K. Singh, Assistant Environment Engineer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad.
4. Mr. N.K. Pandey, Junior Engineer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad.
5. Mr. Ashok Singh, Food & Sanitary Inspector, Nagar Nigam, Ghaziabad.

- During inspection following 02 dairy were found operational:-
    1. **Dairy of Shri Suresh Kumar, 102, Radha Kunj-2, Nandgram, Ghaziabad:-** At the time of inspection Shri Suresh Kumar S/o Shri Raj Singh was present and dairy was found operational. As per representative total no. of animal are 22. Untreated effluent from floor washing of dairy is being discharged directly into local drain. Photographs of dairy premises and drain meeting with local drain is as follows:

    2. **Dairy of Shri Naresh Kumar, 221, Radha Kunj-2, Nandgram, Ghaziabad:-** At the time of inspection Shri Naresh Kumar S/o Shri Chiranjee Lal was present and dairy was found operational. As per representative total no. of animal are 18. Untreated effluent from floor washing of dairy is being discharged directly into local drain. Photographs of dairy premises and drain meeting with local drain is as follows:

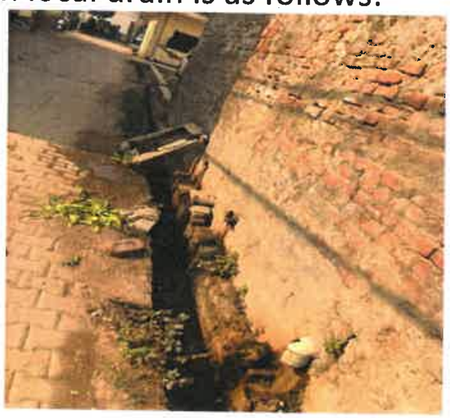

- It was informed by Nagar Nigam, Ghaziabad that 01 more dairy unit was situated at Plot No-180, Radha Kunj-2, Nandgram, Ghaziabad operated by Mr. Manoj Nagar, which was found dismantled. It was

informed by local resident that dairy unit has been removed since 01 year. Photographs of sites is as follows:

- Nagar Nigam, Ghaziabad has imposed compensation/fine against the following dairies at different time period u/s 460 of Nagar Nigam Act., Which has been recovered by Nagar Nigam, Ghaziabad. Copy of fine receipt is annexed as **Annexure-4**

Sr. No.	Name of Dairy & Address	Date of Fine	Amount (Rs.)
1.	Shri Suresh Kumar, 102, Radha Kunj-2, Nandgram, Ghaziabad.	09.11.2020 29.12.2018 02.04.2018	5000.00 5000.00 5000.00
2.	Shri Naresh Kumar, 221, Radha Kunj-2, Nandgram, Ghaziabad.	09.11.2020 29.12.2018 02.04.2018	5000.00 5000.00 5000.00
3.	Shri Manoj Nagar, Plot No-180, Radha Kunj-2, Nandgram, Ghaziabad	29.12.2018 02.04.2018	2500.00 2500.00

- Further U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad vide letter dated 02.12.2020 issued notice to 02 operational dairies regarding compliance of guideline issued by Central Pollution Control Board, New Delhi, copy of same was received by dairy units during joint inspection on dated 03.12.2020.
- Recommendation has been sent by UPPCB Ghaziabad vide letter dated 04.12.2020 to HO, UPPCB Lucknow regarding imposing EC of Rs. 4,55,000/- each against illegal dairy units. Copy enclosed as **Annexure-5.**

Proposed Actions & Recommendations

The main complaint was regarding illegal operation of dairy farms in residential colony of Nandgram, Ghaziabad without obtaining any consents/permits/licenses from the concerned departments/State Authorities thereby causing environmental pollution. Based on the observations made during the inspection conducted on 07/11/2019, the Committee hereby draws the following action points & recommendations:

- These dairy units are running in Nandgram, Ghaziabad which is a residential area. Operating such units in a residential area is illegal.
- These units never obtained and nor was granted any licenses/consents/permissions from the State Authorities like Ghaziabad Nagar Nigam, UPPCB, etc.
- The State Authorities should take action against illegal operation of the business in a residential area as per the provisions of the applicable rules/laws.
- Operation of such clandestine units essentially leads to water and solid waste pollution and the same should not be allowed.
- The Committee requested the Ghaziabad Nagar Nigam to issue notice/initiate action as per the relevant Acts/Laws.

The action taken report in the aforesaid matter is put up for your perusal and necessary action please.

Mr. Mitlesh Kumar Singh, Nagar Swasthay Adhikari, Nagar Nigam, Ghaziabad.	[signature] 04/12/20
Mr. Prateet Singh, Nayab Tehsildar, Ghaziabad.	[signature] 04/12/20
Mr. B.K. Singh, Assistant Environment Engineer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad.	[signature] 04/12/2020
Mr. N.K. Pandey, Junior Engineer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad.	[signature] 04-12-2020
Mr. Ashok ~~Singh~~ Kumar, Food & Sanitary Inspector, Nagar Nigam, Ghaziabad.	[signature] 04/12/2020

30/9/20 Annex-1

मा0 एन.जी.टी. प्रकरण (सर्वोच्च प्राथमिकता)

कार्यालय गाजियाबाद नगर निगम

पत्रांकः- 852 /एन.जी.टी/विधि/2020-21 दिनांकः 17 सितम्बर 2020

नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
गाजियाबाद नगर निगम।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन ओ.ए. संख्या-71/2020 चंन्द्र स्वरूप त्यागी बनाम नगर निगम गाजियाबाद व अन्य में थाना सिहानी गेट क्षेत्रान्तर्गत स्ट्रोम वॉटर ड्रैन को डेयरी संचालको द्वारा प्रदूषित किये जाने के सम्बन्ध में है जिस कारण अनेक बिमारिया फैलती है। याचिकाकर्ता द्वारा अपना शिकायती पत्र दिनांक-03.05.2016 को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को दिया गया परन्तु कोई प्रभावी पैरवी नही हो सकी इसके पश्चात सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक-11.07.2018 को सी0आर0पी0सी0 मे धारा-133 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु थाना सिहानी गेट को निर्देशित किया गया परन्तु श्री सुरेश, श्री सचिन, श्री नरेश पाल द्वारा मा0 सिविल न्यायालय से डेरी हटाने के सम्बन्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा एडमिशन पर ही दिनांक-09.09.2020 (छायाप्रति संलग्न) को सुनवाई करते हुये एस0पी0सी0बी0, एस0डी0एम0, गाजियाबाद नगर निगम की कमैटी का गठन करते हुये तथा एस0पी0सी0बी0 को अनुपालन व समन्वय हेतु नोडल ऐजेन्सी नामित किया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः-यथोक्त।

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम।

प्रतिलिपिः-
1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. एस0डी0एम0 (सदर) को सूचनार्थ व आवश्य कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद को आवश्य कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम।

717/SCSDM(S)/20
RO (PCB)

उप जिलाधिकारी
गाजियाबाद
19/9/XX

Annex-2

UPPCB

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.com

संदर्भ संख्या : 1177/एन0जी0टी0–109/ओ0ए0नं–71/20/20 दिनांक 25/09/2020

सेवा में,

उपजिलाधिकारी–सदर,
गाजियाबाद।

विषयः माo राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित OA No-71/2020 Chandra Swarup Tyagi Vs Nagar Nigam Ghaziabad & Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.09.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित OA No-71/2020 Chandra Swarup Tyagi Vs Nagar Nigam Ghaziabad & Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.09.2020 (छायाप्रति संलग्न) को आदेश पारित किए गये है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है:–

"………Grievance in this application is against unscientific disposal of waste by the dairy owners in the storm water drains resulting in pollution and diseases. The grievance was reported to the Ghaziabad Development Authority on 03.05.2016, but no adequate action was taken. Notices were also issued under Section 133, Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) by the City Magistrate on 11.07.2018, on a report by the Police Station, Sihani Gate, Ghaziabad against Shri Naresh Pal, Shri Suresh and Shri Sachin but there was stay against removal of the dairy by the District Judge. The said persons are also using submersible pump for removing the dung and discharging the same in the drains. Let a Joint Committee of State Pollution Control Board (SPCB), SDM and the Municipal Council, Ghaziabad look into the matter and take appropriate action as per law. An action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The SPCB will be the nodal agency for coordination and compliance………"

उक्त आदेश के अनुपालन अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 17.09.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि संयुक्त निरीक्षण हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, गाजियाबाद को नामित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम मे आपसे अनुरोध है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन मे संयुक्त निरीक्षण हेतु समय एवं तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें, जिससे कि नियत तिथि से पूर्व संयुक्त निरीक्षण कर आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष निर्धारित समयावधि मे प्रस्तुत की जा सकें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

26/9/2020.

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annex-3

आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय उप जिलामजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।

प0सं0 856 / एस0टी0–एस0डी0एम0 / गाजि0 / 2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020

1– नगर स्वास्थ्य अधिकारी, गाजियाबाद नगर निगम।
2– नायब तहसीलदार, गाजियाबाद।
3– श्री बी0के0 सिंह, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, गा0बाद।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 71/2020 चन्द्रस्वरूप त्यागी बनाम नगर निगम गाजियाबाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09–9–2020 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के साथ संलग्न क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद 1177/एन0जी0टी0–109/ओ0ए0नं0– 71/20/20 का अवलोकन करें। जिसके अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 71/2020 चन्द्रस्वरूप त्यागी बनाम नगर निगम गाजियाबाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09–9–2020 के अनुपालन में शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित डेयरी को हटवाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने निर्देशित किया जाता है कि आपस में समुचित समन्वय कर थाना से पर्याप्त पुलिस फोर्स प्राप्त कर संयुक्त रूप से अपेक्षित कार्यवाही करते हुए दिनांक **10–10–2020 से पूर्व** कृत कार्यवाही की आख्यम मय फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गायियाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **चूंकि प्रकरण में अग्रिम नियत तिथि से पूर्व मा0 एन0जी0टी0 में अनुपालन आख्या/उत्तर दाखिल कराया जाना है, अतः इस कार्य में आपका व्यक्तिगत ध्यान एवं उपस्थिति अपेक्षित है।** किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

संलग्न :– यथोपरि।

(देवेन्द्र पाल सिंह)
उप जिलामजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि :–

1– जिलाधिकारी महोदय को सादर प्रेषित।
2– नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम को सादर प्रेषित।
2– पुलिस अधीक्षक (नगर) महोदय को इस अनुरोध से कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु कमेटी द्वारा मांगे जाने पर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से सर्वसम्बन्धित को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

उप जिलामजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।

Annex - 4

गाजियाबाद नगर निगम

(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति / जुर्माना रसीद)

स्तक सं0 125 क्रमांक 081

रसीद जारी करने की तिथि: 09/11/2020

अतिक्रमण कर्ता का नाम/ पता: सुरेश S/o राज सिंह

अतिक्रमण स्थल: राधा कुन्ज नन्दग्राम

अतिक्रमण का विवरण: सड़क/नाली में खोखा रखना

क्षतिपूर्ति की धनराशि (अंको में): 5000/-

(शब्दों में): पाँच हजार रुपये

8 10-11-2020

5000-

...ांक 09/11/2020

रसीद जारी करने वाले कर्मचारी / अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

गाजियाबाद नगर निगम

(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति / जुर्माना रसीद)

125 क्रमांक 082

...री करने की तिथि: 09/11/2020

...ण कर्ता का नाम/ पता: नरेश कुमार S/o चिरंजीलाल

...ण स्थल: राधा कुन्ज नन्दग्राम

...ण का विवरण: सड़क/नाली पर खोखा रखना

...की धनराशि (अंको में): 5000/-

(शब्दों में): पाँच हजार रुपये मात्र

8 10-11-2020

5000-
10000-

...9/11/2020

रसीद जारी करने वाले कर्मचारी / अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

गाजियाबाद नगर निगम

(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति / जुर्माना रसीद)

तक सं0 133

क्रमांक 091

रसीद जारी करने की तिथि: 29.12.18

अतिक्रमण कर्ता का नाम/ पता: मनोज कुमार S/ जयसिंह

अतिक्रमण स्थल: राधा कुन्ज नन्दग्राम

अतिक्रमण का विवरण: गन्दगी (नाले में गोबर (कहाना))

क्षतिपूर्ति की धनराशि (अंकों में): 2500/-

(शब्दों में): दो हजार पाँच सौ रुपये मात्र

ाँक 29/12/18

रसीद जारी करने वाले कर्मचारी / अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

गाजियाबाद नगर निगम

(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति / जुर्माना रसीद)

तक सं0 133

क्रमांक 089

सीद जारी करने की तिथि: 29.12.18

तिक्रमण कर्ता का नाम/ पता: सुरेश S/ राजसिंह

तिक्रमण स्थल: राधा कुन्ज नन्दग्राम

तिक्रमण का विवरण: गन्दगी (नाली में गोबर बहा

तिपूर्ति की धनराशि (अंकों में): 5000/-

(शब्दों में): पाँच हजार रुपये मात्र

29/12/18

रसीद जारी करने वाले कर्मचारी / अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्ष

गाजियाबाद नगर निगम

(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति / जुर्माना रसीद)

पुस्तक सं0 ..... 133 ..... क्रमांक 090

रसीद जारी करने की तिथि 29/12/18

अतिक्रमण कर्ता का नाम/ पता ..... नरेश प्रकाश श्री चिरंजी लाल

अतिक्रमण स्थल ..... राधा कुन्ज नन्दग्राम

अतिक्रमण का विवरण ..... गन्दगी (नाली में गोबर बहाना)

क्षतिपूर्ति की धनराशि (अंकों में) 5000/-

(शब्दों में) ..... पाँच हजार रूपये मात्र

दिनांक 29/12/18

रसीद जारी करने वाले कर्मचारी / अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

गाजियाबाद नगर निगम

(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति / जुर्माना रसीद)

पुस्तक सं0 ..... 119 ..... क्रमांक 020

1.रसीद जारी करने की तिथि 21.4.18

2.अतिक्रमण कर्ता का नाम/ पता ..... नरेश पाल S/o श्री चिरंजी पाल

221 राधा कुंज [illegible] नन्दग्राम

3.अतिक्रमण स्थल ..... [illegible]

4.अतिक्रमण का विवरण ..... [illegible] का गोबर [illegible] नाली में [illegible]

5.क्षतिपूर्ति की धनराशि (अंकों में) 5000/-

(शब्दों में) ..... पाँच हजार रु0 केवल

दिनांक 21.4.18

रसीद जारी करने वाले कर्मचारी / अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

गाजियाबाद नगर निगम

(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति / जुर्माना रसीद)

पुस्तक सं0....... 119 .....

क्रमांक............ 021

1.रसीद जारी करने की तिथि 21/4/10

2.अतिक्रमण कर्ता का नाम/ पता .... मनोज नागर S/0 श्री [illegible] नागर

3.अतिक्रमण स्थल .... 180 राधा कुंज [illegible]

4.अतिक्रमण का विवरण .... पर्यावरण क्षतिपूर्ति [illegible]

5.क्षतिपूर्ति की धनराशि (अंको में) 2500/-

(शब्दों में) .... पच्चीस सौ केवल

रसीद जारी करने वाले कर्मचारी /
अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

दिनांक 21/4/10

गाजियाबाद नगर निगम

(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति / जुर्माना रसीद)

पुस्तक सं0....... 119 ....

क्रमांक................ 022

1.रसीद जारी करने की तिथि 21/4/10

2.अतिक्रमण कर्ता का नाम/ पता .... श्री सुरेश S/0 श्री रामसिंह
102 राधा कुंज [illegible]

3.अतिक्रमण स्थल .... पर्यावरण क्षतिपूर्ति [illegible]

4.अतिक्रमण का विवरण .... [illegible]

5.क्षतिपूर्ति की धनराशि (अंको में) 5000/-

(शब्दों में) .... पाँच हजार रु0 केवल

रसीद जारी करने वाले कर्मचारी /
अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

दिनांक 21/4/10

Annex-5

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1922/NGT/Annex 71/2020 दिनांक 04/12/2020

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री सुरेश कुमार, 102, राधा कुंज–2, नन्दग्राम, गाजियाबाद मे संचालित डैयरी फार्म के विरूद्धपर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री सुरेश कुमार, 102, राधा कुंज–2, नन्दग्राम, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 03.12.2020 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नही पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उधोग की श्रेणी मे आच्छादित नही है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरूद्व न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/– प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र मे प्रकाषन की तिथि से दिनांक 03.12.2020 कुल 91 दिन की गणना निम्नानुसार है:–

EC	91X5000=4,55,000/- (Four Lakhs Fifty Five Thousand only)

उपरोक्तानुसार संदर्भित गौशाला के विरूद्व पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक:निरीक्षण आख्या।

भवदीय,

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

श्री सुरेश कुमार, 102, राधा कुंज–2, नन्दग्राम, गाजियाबाद मे संचालित डैयरी फार्म के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री सुरेश कुमार, 102, राधा कुंज–2, नन्दग्राम, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 03.12.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री सुरेश कुमार प्रतिनिधि के रूप मे उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन मे उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला मे पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 03.12.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नही पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नही पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उधोग की श्रेणी मे आच्छादित नही है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरूद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/– प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र मे प्रकाषन की तिथि से दिनांक 03.12.2020 कुल 91 दिन की गणना निम्नानुसार है:–

EC	91X5000=4,55,000/- (Four Lakhs Fifty Five Thousand only)

उपरोक्तानुसार संदर्भित गौशाला के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

03-12-2020
(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता

03.12.2020
(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता

03/12/2020
(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.com

पत्रांकः 1921/NGT/OA No. 71/2020 दिनांक 04/12/2020

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः श्री नरेश कुमार, 221, राधा कुंज–2, नन्दग्राम, गाजियाबाद मे संचालित डैयरी फार्म के विरूद्धपर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री नरेश कुमार, 221, राधा कुंज–2, नन्दग्राम, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 03.12.2020 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नही पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उधोग की श्रेणी मे आच्छादित नही है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरूद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/– प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र मे प्रकाषन की तिथि से दिनांक 03.12.2020 कुल 91 दिन की गणना निम्नानुसार हैः–

EC	91X5000=4,55,000/- (Four Lakhs Fifty Five Thousand only)

उपरोक्तानुसार संदर्भित गौशाला के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नकःनिरीक्षण आख्या।

भवदीय,

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

श्री नरेश कुमार, 221, राधा कुंज–2, नन्दग्राम, गाजियाबाद मे संचालित डैयरी फार्म के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री नरेश कुमार, 221, राधा कुंज–2, नन्दग्राम, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 03.12.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री नरेश कुमार प्रतिनिधि के रूप मे उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन मे उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला मे पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 03.12.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नही पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नही पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उधोग की श्रेणी मे आच्छादित नही है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरूद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/– प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र मे प्रकाषन की तिथि से दिनांक 03.12.2020 कुल 91 दिन की गणना निम्नानुसार है:–

EC	91X5000=4,55,000/- (Four Lakhs Fifty Five Thousand only)

उपरोक्तानुसार संदर्भित गौशाला के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

03.12.2020
(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता

03.12.2020
(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता

03/12/2020
(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता